

संचिका संख्या-17/कोर्ट-23/2018-

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संशोधित संकल्प

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 1020 (18) दिनांक-29.06.1999 द्वारा डा० हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) सम्प्रति निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत अनुबंध में उल्लिखित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही सांस्थित है।

डा० कर्ण दिनांक-31.03.2019 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गए हैं। अतः उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) के तहत परिवर्तित किया जाता है। संकल्प संख्या-1020(18) दिनांक-29.06.1999 के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 17/कोर्ट-23/2018- 610(17) पटना, दिनांक :- 02/08/19

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना / पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० हेमचन्द्र लाल कर्ण, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामनगर, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) सम्प्रति निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी पत्राचार का पता-प्लैट नं०-106 बी, लव-कुश अपार्टमेन्ट, जगदेव पथ, लोहिया पथ, पटना पिन-800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,03,09,17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।